

पत्रांक-1प्रा0आ0-13/2016 3177 /आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक- 24/8/16

विषय: राहत केन्द्र के संचालन के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय पत्रांक 3174 /आ0प्र0 दिनांक 24.08.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का स्मरण किया जाए, जिसके द्वारा राहत केन्द्र के संचालन के संबंध में निदेश दिया गया था। आज दिनांक 24.08.2016 को मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा विडियो कॉन्फ़ोर्मिंग के माध्यम से बाढ़ से प्रभावितों के बीच की जा रही राहत कार्य की समीक्षा के दौरान लिए गए निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 3174 /आ0प्र0 दिनांक 24.08.2016 के कंडिका 3.9 के उप कंडिका 1(क) में आंशिक संशोधन करते हुए दो बक्त (सुबह-शाम) का विस्थापितों को दिए जाने वाले पका हुआ भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता भी शामिल होगा। इस प्रकार राहत केन्द्र में विस्थापितों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना तथा रात का खाना दिया जाएगा तथा इसमें होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति खाद्यान्न की आपूर्ति मद से की जाएगी।

विश्वासभाजन

24/8

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3177 /आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 24/8/16

प्रतिलिपि— प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग/शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/भवन निर्माण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ ऊर्जा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ३१७७ / आ०प्र०, पटना-१५, दिनांक- २४/८/१६
प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

०२४/८
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ३१७७ / आ०प्र०, पटना-१५, दिनांक- २४/८/१६
प्रतिलिपि- सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

०२४/८
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ३१७७ / आ०प्र०, पटना-१५, दिनांक- २४/८/१६
प्रतिलिपि- मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

०२४/८
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ३१७७ / आ०प्र०, पटना-१५, दिनांक- २४/८/१६
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

०२४/८
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ३१७७ / आ०प्र०, पटना-१५, दिनांक- २४/८/१६
प्रतिलिपि- माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

०२४/८
प्रधान सचिव